



Maharaja Surajmal Brij University

Chak Sakitra, Kumher, Bharatpur – 321201,

Email- info@msbrijuniversity.ac.in Website – www.msbrijuniversity.ac.in

No. P.03(26)MSBU/Acad-II/2023/2282

Dated : 21-03-2024

Certificate of Affiliation

This is to declare that Govt. College, Bayana, Bharatpur, Rajasthan is affiliated to Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur since 2015 and before this college was affiliated under University of Rajasthan, Jaipur. The programmes taught in the college are listed here under-

S. No.	Name of the Programme leading to Degree	Year of introduction of Programme	Programme Duration	Current Affiliation Status Permanent/Temporary
(I)	B.A. in English Literature, Hindi Literature, Geography, History, Political Sci., Sanskrit, Sociology, Economics	1991-92	Three years	Permanent
(II)	B.Com. in ABST, EAFM and Business Administration	1991-92	Three year	Temporary
(III)	B.Sc. in Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology, Botany	2021-22	Three year	Temporary
(IV)	M.A. in Geography	2020-21	Two years	Temporary
(V)	M.A. in Hindi Literature	2022-23	Two years	Temporary

Registrar



महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर-321001

Email -affiliation btp@msbrijuniversity.ac.in, info@msbrijuniversity.ac.in

Website - www.msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक: 3(26)मसूबृवि/सम्बद्धता/2023/2280

दिनांक 21/03/2024

सम्बद्धता आदेश 2023-24

राजस्थान सरकार के शिक्षा(गुप-4) विभाग, जयपुर के संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक: प.28(3)शिक्षा/गुप-4/2015 दिनांक 18.01.2024 एवं पत्र क्रमांक प. 28(3)शिक्षा/गुप-4/2015 दिनांक 15.03.2024 में प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में माननीय कुलपति महोदय के आदेशों की पालना में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार (भरतपुर, धौलपुर एवं डीग) में आने वाले समस्त पूर्व से संचालित एवं सम्बद्ध राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों जिन्होंने सत्र 2023-24 की सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करते हुए पूर्ण सम्बद्धता शुल्क जमा किया है को सत्र 2023-24 की सशर्त सम्बद्धता आवश्यक मापदंडों की पूर्ति सत्र अवसान की अन्तिम तिथि तक पूर्ण करने की शर्त पर जारी की जाती है। सभी महाविद्यालय शपथ पत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सम्बद्धता के लिए आवश्यक निम्नांकित मापदंडों की पूर्ति करते हैं-

1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा चालू सत्र की एन.ओ.सी जारी की गई है।
2. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्रदान की गई है एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा चालू सत्र की एन.ओ.सी जारी की गई है।
3. निजी महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं समस्त शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियां UGC/NCTE के नियमानुसार आवश्यक संख्या में विश्वविद्यालय के माध्यम से कराई जा कर तथा नियुक्तियों का अनुमोदन विश्वविद्यालय से कराया गया है।
4. महाविद्यालय में संचालित प्रायोगिक पाठ्यक्रमों व विषयों में प्रयोगशालाओं व आवश्यक उपकरणों व रसायन आदि की उचित उपलब्धता है।
5. महाविद्यालय में पुस्तकालय में पाठ्यक्रम एवं विषयों की संख्या एवं आवंटित संख्या को देखते हुए पुस्तकों/जर्नलों/सन्दर्भ पुस्तकों आदि की आवश्यक संख्या उपलब्ध है।
6. महाविद्यालय में भवन, स्टाफ रुम, खेल मैदान, ऑडिटोरियम आदि की सुविधाएँ नियमानुसार संख्या एवं परिमाण में उपलब्ध हैं।
7. महाविद्यालय के द्वारा नियमानुसार (प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 17.02.2017 के सम्बद्धता नियमानुसार) न्यूनतम भूमि मापदंड पूर्ण होने चाहिए -

क्र.स.	स्थान	भूमि
1.	संभागीय मुख्यालय- भरतपुर	4000 वर्ग मी.
2.	जिला मुख्यालय - धौलपुर	5000 वर्ग मी.
3.	अन्य क्षेत्र	8000 वर्ग मी.

8. निजी महाविद्यालयों के सम्बन्ध में भूमि का क्रयनामा पंजीयन/रजिस्ट्री पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम से होना चाहिए।

9. निजी महाविद्यालयों को चलाने वाली संस्था का रजिस्ट्रेशन, विधान तथा नवीनतम कार्यकारिणी की प्रति उपलब्ध है।
10. निजी महाविद्यालयों में महाविद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन सोसाइटी/ट्रस्ट की कार्यकारिणी से पृथक होना आवश्यक है।
11. "रजिस्ट्रार, म.सू.बृज विश्वविद्यालय भरतपुर एवं संस्था सचिव के संयुक्त नाम से" निजी महाविद्यालय में चलने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या के अनुसार बनवायी गई कॉरपस फण्ड की FDR विश्वविद्यालय में जमा होनी आवश्यक है।
12. प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ को यूजीसी के नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है।
13. महाविद्यालयों को भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, महाविद्यालय परिसर के नक्शे का ब्लू प्रिंट मैप, भूमि का शैक्षणिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन (Land Conversion) तथा भूमि एवं भवन से सम्बन्धित अन्य समस्त अद्यतन दस्तावेज वैधानिक सम्बन्धित राजकीय विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।
14. महाविद्यालय का सत्र 2022-23 तक का AISHE प्रमाण पत्र जारी हुआ है।
15. प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियमित बायोमैट्रिक उपस्थिति कराई जा रही है।
16. महाविद्यालय द्वारा समस्त पंजीकृत विद्यार्थियों की उपस्थिति GPS Enabled Software पर कराई जा रही है।

सभी महाविद्यालय उपर्युक्त का शपथ पत्र 100 रु के गैर-न्यायिक स्टांप पर दिनांक 30.03.2024 तक जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। महाविद्यालयों द्वारा जमा कराये गए शपथ पत्रों का सत्यापन उनकी आवेदन एवं निरीक्षण फाइलों में संलग्न दस्तावेजों से विश्वविद्यालय के निरीक्षण मण्डल द्वारा कराया जाएगा। निरीक्षण मण्डल की रिपोर्ट एवं अनुशंसा अनुसार मापदण्डों की अर्हता पूर्ण करने वाले महाविद्यालयों के पूर्ण सम्बद्धता आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे।

सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करते हुए पूर्ण सम्बद्धता शुल्क जमा करने वाले व आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा से एन.ओ.सी. प्राप्त सभी महाविद्यालयों को सत्र 2023-24 की सशर्त सम्बद्धता जारी की जाती है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(डॉ. अरुण कुमार पाण्डेय)
कुलसचिव

दिनांक 21/03/2024

क्रमांक: 3(26)मसू.बृज/सम्बद्धता/2023/2280

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. श्रीमान प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर, राजस्थान।
2. श्रीमान प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय राजभवन, जयपुर।
3. श्रीमान आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. श्रीमान संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, जयपुर।
5. समस्त प्राचार्य, विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय क्रमशः भरतपुर, धौलपुर एवं डीग।
6. समस्त प्राचार्य, विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त निजी स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय क्रमशः भरतपुर, धौलपुर एवं डीग।
7. निजी सहायक, माननीय कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
8. परीक्षा नियंत्रक, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
9. सहायक कुलसचिव, सम्बद्धता, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।



कुलसचिव

